संख्या- 917/2023/3018/35-4-2023/35-4099/261/2023

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 29 दिसम्बर, 2023

विषय:- जनपद- कानपुर नगर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद कानपुर नगर में शासनादेश सं0- 556/2023/1254/35-4-2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा लोकसभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क निर्माण से सम्बंधित 11 कार्यों हेतु रु0 494.16 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 247.05 लाख की धनराशि निर्गत कि गई थी | जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा पत्र संख्या- 1159/त्व०आ०वि०यो०/लो०स०-अकबरपुर/2022-23 दिनांक 18.11.2023 के माध्यम से उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2023 के क्रमांक- 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 एवं 11 पर उल्लिखित कार्यों (कुल 08 कार्य) हेतु प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स एवं गठित समिति से प्राप्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि की माँग की गई है | उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2023 के क्रमांक- 3 पर अंकित कार्य से सम्बंधित उपलब्ध कराया गया फोटोग्राफ मात्र सूचना पट एवं शिलान्यास पट का फोटोग्राफ है, इंटरलाकिंग कार्य का फोटोग्राफ नहीं है एवं क्रमांक- 7 पर अंकित कार्य से सम्बंधित उपलब्ध कराए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र में उल्लिखित किया गया व्यय अद्यतन अवमुक्त धनराशि के 75% से कम है |

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए 06 कार्यों (शासनादेश दिनांक 29.03.2023 के क्रमांक- 1, 5, 6, 9, 10 एवं 11 पर अंकित) हेतु देय अवशेष धनराशि रू0 1,26,33,000/- (रूपये एक करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हज़ार मात्र) निम्नांकित सारणी अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रूपए लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	अनुमोदित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष देय धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	वि०स० क्षेत्र- बिठूर के वि०ख०- बिधनू में पिपरगवा कसिगवाँ मार्ग से शारदा इण्डेन गैस एजेंसी से पिपरगवां पंचायत के सामने तक इंटरलाकिंग कार्य।	34.65	17.32	12.99	17.33	17.33
2.	वि०स० क्षेत्र- बिठूर के वि०ख०- बिधनू में ग्राम सभा दलेलपुर से नहर तक इंटरलाकिंग कार्य।	37.75	18.87	14.16	18.88	18.88
3.	वि०स० क्षेत्र- बिठूर के वि०ख०- बिधनू में मझाबन अहवा मिर्जापुर मार्ग में ज्वाला देवी मन्दिर तक इंटरलाकिंग कार्य।	31.42	15.71	11.79	15.71	15.71
4.	वि०स० क्षेत्र- महाराजपुर के वि०ख०- सरसौल में हांथीगाव नर्वल मार्ग से प्राइमरी पाठशाला होते हुये हाथीगाव खजुरिहा मार्ग तक इंटरलाकिंग कार्य	33.80	16.90	12.68	16.90	16.90
5.	वि०स० क्षेत्र- महाराजपुर के वि०ख०- सरसौल में सुनहला खातिन खेड़ा संपर्क मार्ग से रामपुर खरोरी संपर्क मार्ग इंटरलाकिंग कार्य।	70.75	35.37	26.53	35.38	35.38
6.	वि०स० क्षेत्र- महाराजपुर के वि०ख०- सरसौल में पुरवामीर-खागल बाबा सम्पर्क मार्ग से राम जीवन के दरवाजे से गोविन्द के घर से होते हुये पुलिया तक इंटरलाकिंग कार्य।	44.25	22.12	16.60	22.13	22.13
	कुल योग	252.62	126.29	94.75	126.33	126.33

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29.03.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी |

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 1,26,33,000/- (रूपये एक करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

<u>संख्या- 917/2023/3018(1)/35-4-2023/35-4099/261/2023 तददिनांक |</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कानपुर नगर ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**